

I/3091758/2024



भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)



RBA No. 09/2024
GST Circular No.01/2024

No. 2017/AC-II/1/6/GST Main/Vol. IV

New Delhi, dated 22.03.2024

General Managers,
All Zonal Railway/Production Units

Sub: Action points for GST compliances - 31st March 2024

Certain compliances are to be undertaken at the year-end as envisaged in GST Act and corresponding rules made thereunder. The instant circular highlights actions required to be undertaken to ensure adherence to GST laws:

1. Credit attributable to exempted supplies- Finalization of ITC pertaining to inputs and input services reversed on monthly basis (Rule 42 of CGST Rules, 2017):

- a. ITC attributable to supply of exempted goods or services, which has been reversed on a monthly basis during FY 2023-24 may be finalised latest by 31st March 2024.
- b. If the amount reversed on monthly basis is in excess of the finally calculated amount, the excess reversed credit may be determined by 31st March 2024 to ensure availment in FORM GSTR-3B for the tax period of March 2024.
- c. However, if the amount reversed on a monthly basis is short of the amount finally calculated, the difference in such amount may be reversed in FORM GSTR-3B to be filed for the tax period of March 2024.
- d. It is pertinent to note that any reversal done post filing of FORM GSTR-3B for tax period of March 2024 in compliance with rule 42(2), shall attract interest @18% p.a. to be computed with effect from 1st April 2024.

I/3091758/2024

2. Serial Number of documents issued:

In line with the provisions of GST laws such as Rule 46, Rule 49, Rule 52 and Rule 53 of CGST Rules, 2017, every document (i.e., invoice, debit note, credit note, bill of supply etc.) issued by a registered person shall contain consecutive serial numbers which shall *inter alia* be unique for that financial year.

Thus, beginning 1st April 2024, documents for outward supplies issued by Zonal Railways and Production Units shall commence with new and unique serial number.

3. Review of profile details on GST portal of GSTIN:

Railways in consultation with GST consultants may review the profile details (such as Email Id, phone No., authorized signatory, additional place of business (addresses) etc.) on the GST portal and if be needed the same shall be updated.

Above actions are in addition to periodical compliances (such as filing of FORM GSTR-1, FORM GSTR-3B etc.) for the tax period of March 2024.

Signed by
Vipul Tripathi
Date: 22-03-2024 15:05:32
(Vipul Tripathi)
Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs All Zonal Railways/Production Units
2. All EDs, ED level empowered Committee in Railway Board
3. All Directors of GST Cell, Railway Board
4. MD, CRIS, Chanakyapuri New Delhi
5. Director/Finance, Director/PS, Director/Operations, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi
6. GM/Finance and GSTM, GM/FOIS, GM/PRS, GM/EPS, GM/UTS, GM/Parcel, CRIS, NDLS

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

आरबीए सं. 09/2024
जीएसटी परिपत्र सं. 01/2024

सं. 2017/एसी-III/1/6/जीएसटी मेन/वॉल. IV

नई दिल्ली, दिनांक 22.03.2024

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटी अनुपालन हेतु कार्य बिंदु - 31 मार्च 2024.

जीएसटी अधिनियम उसके तहत बनाए गए संबंधित नियमों में यथा-उल्लिखित कुछ अनुपालन वर्ष के अंत में किए जाने हैं। तत्काल परिपत्र में जीएसटी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाई पर प्रकाश डाला गया है :

1. छूट प्राप्त आपूर्ति के कारण जमा - मासिक आधार पर वापस किए गए इनपुट और इनपुट सेवाओं से संबंधित आईटीसी को अंतिम रूप देना (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 42) :

क) छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के कारण आईटीसी, जिसे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मासिक आधार पर वापस कर दिया गया है, को 31 मार्च, 2024 तक अंतिम रूप दिया जाए।

ख) यदि मासिक आधार पर वापस की गई राशि अंतिम रूप से गणना की गई राशि से अधिक है, तो मार्च 2024 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में लाभ सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वापस की गई जमा राशि को 31 मार्च 2024 तक निर्धारित किया जा सकता है।

ग) बहरहाल, यदि मासिक आधार पर वापस की गई राशि अंतिम रूप से गणना की गई राशि से कम है, तो ऐसी राशि के अंतर को मार्च 2024 की कर अवधि के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म जीएसटीआर-3बी में वापस किया जा सकता है।

घ) यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि नियम 42(2) का अनुपालन करते हुए मार्च 2024 की कर अवधि के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के बाद किए गए किसी भी वापसी पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा, जिसकी गणना 1 अप्रैल 2024 से की जानी है।

2. जारी किए गए दस्तावेजों की क्रम संख्या

जीएसटी नियमों यथा सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46, नियम 49, नियम 52 और नियम 53 के प्रावधानों की तर्ज पर, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी प्रत्येक दस्तावेज (अर्थात् बीजक,

डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपूर्ति बीजक इत्यादि) में निरन्तर क्रम संख्या होगी जो अन्य बातों के साथ-साथ उस वित्त वर्ष के लिए यूनीक होगी।

इस प्रकार, 1 अप्रैल 2024 की शुरुआत से, क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा जारी जावक आपूर्तियों के लिए दस्तावेज नए और यूनीक क्रम संख्या से शुरू होंगे।

3. जीएसटीआईएन के जीएसटी पोर्टल पर प्रोफाइल विवरण की समीक्षा

रेलवे, जीएसटी परामर्शदाताओं के परामर्श से, जीएसटी पोर्टल पर प्रोफाइल विवरण (जैसे ई-मेल आईडी, फोन नं., प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान(पते) इत्यादि) की समीक्षा कर सकता है और यदि आवश्यकता हुई तो उसे अद्यतन किया जाएगा।

उपरोक्त कार्रवाइयां मार्च 2024 की कर अवधि के लिए आवधिक अनुपालनों (जैसे फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर-3बी इत्यादि जमा करना) के अतिरिक्त हैं।



(विपुल त्रिपाठी)

निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें/ उत्पादन इकाइयां।
2. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर की सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
3. जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक ।
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. निदेशक/वित्त, निदेशक/पीएस, निदेशक/परिचालन, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक/वित्त और जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एफओआईएस, महाप्रबंधक/पीआरएस, महाप्रबंधक/ईपीएस, महाप्रबंधक/यूटीएस, महाप्रबंधक/पार्सल, क्रिस, नई दिल्ली।